दिनांक 01.02.2019 को विभागाध्यक्ष कार्यालय में समस्त मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0 सहित) के साथ की गयी कार्यों की समीक्षा बैठक एवं अनिस्तारित प्रकरणों का कार्यवृत्त

सर्वप्रथम बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में मुख्यतः निम्नवत् कार्यों की समीक्षा की गयी–

बिन्दु सं0–1– मार्गो के उच्चीकरण के प्रस्ताव– बैठक में मार्गों के उच्चीकरण के प्रस्तावों पर चर्चा की गयी। सभी अधीक्षण अभियन्ताओं को दिनांक 04.02.2019 तक मार्गों के उच्चीकरण के प्रस्ताव मानचित्र सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रस्ताव ससमय उपलब्ध न कराये जाने हेतु अत्यन्त रोष व्यक्त किया गया। आतिथि तक प्राप्त जनपदवार मार्गो के उच्चीकरण के प्रस्तावों का विवरण निम्वत् है।

पूर्ण प्राप्त प्रस्ताव	अपूर्ण/अप्राप्त प्रस्ताव
उत्तरकाशी	देहरादून
टिहरी	अल्मोडा
पौडी	नैनीताल
पिथौरागढ	हरिद्वार
रूद्रप्रयाग	चमोली
	चम्पावत
	बागेश्वर
	उधमसिंहनगर

अतः जिन जनपदों के पूर्ण प्रस्ताव मानचित्र सहित आतिथि तक प्रस्तुत नही किये गये है वे दि0 15.02.2019 तक भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से प्रस्ताव इस कार्यालय के प्राविधिक कक्ष को अवश्य उपलब्ध करा दें।

बिन्दु सं0–2– नवीनीकरण– मार्गों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृत दरों में पर्वतीय क्षेत्र के मार्गों में पटरी ड्रेसिंग हेतु ₹10000.00 तथा नाली सफाई हेतु ₹10000.00 कुल ₹20000.00 तथा मैदानी क्षेत्र के मार्गों में पटरी ड्रेसिंग हेतु ₹20000.00 का प्राविधान सम्मिलित है। नवीनीकरण का भुगतान करते समय सम्बन्धित कि0मी0 में उक्त कार्य भी पूर्ण होने चाहिए तथा कि0मी0 स्टोन में माह व वर्ष अंकित किया जाना आवश्यक है। नवीनीकरण की निविदा लगाते समय उक्त मदों को अलग से सम्मिलित किया जाय तथा माप के उपरान्त ही नवीनीकरण पटरी व नाली का भुगतान किया जाय।

बिन्दु सं0–3–एस0आर0एम0डी0/एस0डी0आर0एफ0 की जो भी मांग हो उनके आगणन 15.02.2019 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित कर दिये जाय ताकि शासन से धन की मांग की जा सके।

बिन्दु सं0–4– वर्ष 2015 के बाद आतिथि तक मार्गों के नवनिर्माण एवं पुननिर्माण हेतु प्रथम चरण की प्रति कि0मी0 की दरे संशोधित नही की गयी है। इसके लिए निम्नवत् एक समिति गठित की जायेगी, जोकि दिनांक 25.02.2019 तक उक्त दरों को पुनरीक्षित कर नयी दरें प्रस्तुत करेंगीः–

पहाडी क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र
अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोडा	अधीक्षण अभियन्ता, देहरादून
अधीक्षण अभियन्ता, टिहरी	अधीक्षण अभियन्ता, हरिद्वार
अधीक्षण अभियन्ता, रूद्रप्रयाग	

क्रमशः–2

<u>बिन्दु सं0–5–</u> पी0एम0सी0 हेतु मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, हल्द्वानी को दिनांक 25.02.2019 तक ड्राफट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

<u>बिन्दु सं0–6–पी0आई0एल0 सं0–167/2015(रविन्द्र जुगरान)–</u> माह मार्च 2019 में पूर्ण न हो पाने वाले सेतुओं के नोट तैयार कर मा0 न्यायालय में अप्रैल 2019 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>बिन्दु सं0–7–नाबार्ड</u> उच्चाधिकार समिति के धीमी गति के (39 नं0) कार्यों की समीक्षा की गयी। निर्देश दिये गये कि धीमी गति के कार्यों की संख्या कदापि न बढाई जाए तथा कार्यों की प्रगति का ध्यान रखा जाय।

नाबार्ड 18 के कार्यों हेतु माह मार्च 2019 तक ही धनराशि उपलब्ध हो पायेगी। अतः कार्यो पर अधिकतम व्यय/पूर्ण कराना समयबद्ध है।

<u>बिन्दु सं0–8–निविदा–</u>बैठक में निर्देशित किया गया है, कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर सम्बन्धित कार्य की निविदा आमंत्रित हो जानी चाहिए तथा राष्ट्रीय स्तर के किन्ही दो समाचार पत्रों में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाय।

<u>बिन्दु सं0–9–</u>शासनादेश सं0 8167/III(2)/18–15(सामान्य)/2018 दि0 03.12.2018 के बिन्दु सं0 11 में स्पष्ट किया गया है, कि यह शर्त केवल नये मार्गों के सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत है अतः इस तथ्य को निविदा आमंत्रण के समय स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाय।

<u>बिन्दु सं0–10–</u> जिन कार्यों के लिए थर्ड पार्टी टेस्टिंग श्रीराम इन्सीटियूट लैब, नई दिल्ली द्वारा की जा रही है उन कार्यों का भुगतान दिनांक 15.02.2019 तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाय।

बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

(आर0सी0 पुरोहित)
प्रमुख अभियन्ता

पत्र सं0 184 /01 प्रा0 याता–क/2018 देहरादून, दि0 12 फरवरी. 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–II, (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. समस्त मुख्या अभियन्ता स्तर–I/II, क्षेत्रीय कार्यालय एन0एच0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/रा0मा0), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ स्टाफ आफिसर/अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक, क्वालिटी कन्ट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रथम/द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय को अनुपालन/अनुश्रवण हेतु।
7. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
8. बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

I.T
upload करें
13.02.19

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता